"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 3464/डी. 113/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन).अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मंत्रीगण" में सम्मिलित है "मुख्यमंत्री";

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"3. मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अनुसूची में विनिर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा."

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के स्थान् पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को उनकी पदावधि के दौरान अनुसूची में विनिर्दिष्ट दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

(2) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अनुसूची में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा."

अनुसूची का अन्तःस्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची

[धारा 2 (क) देखें]

धारा (1)	वेतन तथा भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	(एक) मुख्यमंत्री का वेतन	रुपये 30,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों के वेतन	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों के वेतन	रुपये 25,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमाह

(1)	(2)	(3)
धारा 4 (1)	(एक) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(दो) मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(तीन) राज्य मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
धारा 4 (2)	(एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.	रुपये 27,000 प्रतिमाह"

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 3464/डी. 113/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2013)

THE CHHATTISGARH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. For Section 2 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :—

"2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Ministers" includes "Chief Minister";

(b) "Schedule" means a Schedule appended to this Act."

Amendment of Section 3. 3. For Section 3 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"3. Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary, shall be paid a salary as specified in the Schedule."

Amendment of Section 4. 4. For sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Daily allowance shall be paid to the Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary during the term of their office, as specified in the Schedule.

(2) Constituency allowance shall be paid to Chief Minister, Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary as specified in the Schedule."

Insertion of Schedule. 5. After Section 13 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely :—

"SCHEDULE

[See Section 2 (a)]

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 3	(i) Salary of Chief Minister	Rupees 30,000 per mensem.
	(ii) Salary of Ministers	Rupees 27,000 per mensem.
	(iii) Salary of Minister of State	Rupees 25,000 per mensem.
	(iv) Salary of Deputy Minister and Parliamentary Secretary.	Rupees 20,000 per mensem.
Section 4 (1)	(i) Daily allowance to Chief Minister	Rupees 1,200 per day
	(ii) Daily allowance to Ministers	Rupees 1,200 per day
	(iii) Daily allowance to Minister of State.	Rupees 1,200 per day
	(iv) Daily allowance to Deputy Minister and Parliamentary Secretary.	Rupees 1,200 per day
Section 4 (2)	(i) Constituency allowance to Chief Minister.	Rupees 27,000 per mensem.
	(ii) Constituency allowance to Ministers	Rupees 27,000 per mensem.
	(iii) Constituency allowance to Minister of State.	Rupees 27,000 per mensem.
	(iv) Constituency allowance to Deputy Minister and Parliamentary Secretary.	Rupees 27,000 per mensem."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.